मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 17.08.2026

थाना जमालपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामिया/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-01/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम में बड़ी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक:17.08.2026 को थानाध्यक्ष जमालपुर अमित कुमार मय पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से ₹ 25 हजार के इनामियाँ गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त बेताब आलम पुत्र मुख्तार आलम निवासी दलेलनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार इनामियां अभियुक्त —

बेताब आलम पुत्र मुख्तार आलम निवासी दलेलनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया, उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0-01/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम थाना अदलहाट मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास —

मु0अ0सं0-55/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0-01/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम थाना अदलहाट मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

बैकुण्ठपुर नरायनपुर मार्ग के पास, आज दिनांक 17.08.2026 को समय 08:00 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उपनिरीक्षक अमित कुमार थानाध्यक्ष जमालपुर मय टीम।

थाना जमालपुर स्थापना वर्ष- 1982
थाना जमालपुर नवनिर्मित भवन वर्ष-2014